न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर 10/2020

अनवान

1. शंकर पिता भेरा जाति भील पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
2. श्यामलाल पिता गणेश लाल प्रजापत पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी अधिकारी तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादी

वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच
प्रतिवादी की ओर से– स्वयं तहसीलदार भूपालसागर

वादपत्र – बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 11/02/2021

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण बहस अंतिम में नियत होने से बहस सुनी गई एवं प्रकरण के तथ्य इस प्रकार कि वादीगण ने वादपत्र घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का तहसीलदार भूपालसागर के विरुद्ध इस आशय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

11.02.21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया कि ग्राम भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर में वादी की खातेदारी आराजीयात स्थित है। यह आराजीयात वादी संख्या एक को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई जिसके साबिक आराजीयात नं. 492 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म पड़त है। जिसके हाल नम्बर 940 रकबा 0.22 हैक्टेयर आराजी नं. 941 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी नं. 942 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आराजी नं. 2522/939 रकबा 0.11 हैक्टेयर बने है जिसमें से आराजी नं. 942 किस्म आबादी में दर्ज है आराजी नं. 492 के सामने आराजी नं. 499 था एवं आराजी नं. 499 से सड़क में अवाप्त हुई जो आराजी नं. 492 के उत्तर पश्चिमी कोने पर पश्चिम से पूर्व की ओर वादी की जमीन आराजी नं. 492 से लगती हुई थी उक्त दोनो आराजीयात के बीच कोई बिलानाम नम्बर नही था। भू-पैमाईश के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा वर्तमान आराजी नं. 2554/942 जो साबिक आराजी नं. 480 से बना था, जिसको मिलान क्षैत्रफल में बता रखा है जो वर्तमान आराजी नं. 2554/942 के स्थान पर नही होकर काफी दुर था। आराजी नं. 2554/942 के स्थान पर नही होकर काफी दुर था। आराजी नं. 2554/942 का रकबा सडक में अवाप्त में होकर सड़क के नाम पर दर्ज किया जाना था जो सहवन से बिलानाम सड़क के स्थान पर बिलानाम दर्ज हो गया जिसका इन्द्राज दुरुस्ती कर किस्म रास्ता कायम किये जाने की दाद चाही है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब हेतु नियत किया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 28/01/2021 को जवाब प्रस्तुत हुआ जो पत्रावली पर है। जवाब में वादीगण द्वारा अंकित किये तथ्यों को रिकार्ड के अनुसार स्वीकार किया गया तथा वादीगण द्वारा अंकित तथ्य जिसमें आराजी नं. 499 से सड़क में अवाप्त हुई और आराजी नं. 492 के उत्तरी – पश्चिमी कोने पर पश्चिम से पूर्व [illegible] से लगती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

11.02.21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

हुई 100 फिट की सीमा वादीगण की आराजी से लगती हुई को स्वीकार किया तथा हाल आराजी नं. 2554/942 जिसके साबिक नंम्बर 480 से बनना और साबिक आराजी नं. 480 के हाल आराजी नं. 2554/942 के स्थान से काफी दुरी पर स्थित था जिसको स्वीकार किया है।

वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रत्युतर के आधार पर निम्न विवाद्यक का विचरण किया है जो इस प्रकार है–

" कि आया वादी वादग्रस्त आराजीयात ग्राम भूपालसागर की आराजी संख्या 942 के उत्तर पश्चिम के पश्चिम से पूर्व की ओर 100 फिट तक लगती हुई सीमा परलगती हुई आराजी नं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टेयर को बिलानाम से हटाकर किस्म रास्ता दर्ज कराने के कानुनी अधिकारी है"

– जिम्मेवादी

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण का होने से वादीगण ने अपनी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र वादी शंकर लाल व श्यामलाल के प्रस्तुत किये जिसकी नकल प्रतिवादी को दिलाई गई। वादीगण से कोई जिरह नही की, इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत मुख्य परीक्षा के शपथ में अंकित तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया तथा वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित कराये है उनमें प्रदर्श 1 से लगायत प्रदर्श 12 तक प्रस्तुत किये है। प्रदर्श 1 साबिक जमाबन्दी जिसमें वादी संख्या 1 के पिता के नाम की जमाबन्दी जिसके साबिक आराजी नं. 492 रकबा 3 बिघा 10 बिस्वा अंकित है। जिसका मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2 है जिसमें हाल नम्बर अंकित है। प्रदर्श 3 प्रमाणित हाल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस है जिसमें हाल आराजी नं. 942 अंकित है प्रदर्श 4, साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5 हाईवे रोड में अवाप्त आरा[illegible] प्रिन्ट व नक्शा ट्रेस, साबिक जमाबन्दी बिलानाम जिसमें 480 [illegible] आराजी नं.अंकित है जो प्रदर्श 6 है जिसका मिलान क्षै[illegible] प्रदर्श 7 है [illegible] में साबिक नं. 480 हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

11.2.21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

नं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टर अंकित है प्रदर्श 8 हाल जमाबन्दी जो वादी के नाम जमाबन्दी है हाल नक्शा ट्रेस 2554/942 प्रदर्श 9 ब्ल्यू प्रिन्ट संपरिवर्तन आराजी नं. 942 का नक्शा प्रदर्श 10 है, प्रदर्श 11 विक्रय पत्र जिसकी फोटो प्रति मूल से मिलान की गई जो प्रदर्श 11 ए है तथा विक्रय पत्र प्रदर्श 12 जिसकी फोटो प्रति मूल से मिलान की गई जो प्रदर्श 12 ए है।

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों का व दस्तावेजो में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया बहस ध्यान पुर्वक सुनी गई वकील वादी ने निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वाद को पूर्णतया मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर साबित कराया है इसलिए वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री जारी की जावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साबिक राजस्व रिकार्ड एवं हाल राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया, साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जिससे यह ज्ञात हुआ कि साबिक आराजी नं. 480 जो राजकीय बिलानाम भूमि में अंकित है जिसके हाल आराजी नं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टेयर जो वर्तमान में आराजी नं. 942 के पश्चिम से पूर्व की ओर लगती हुई सीमा में अंकित है जिसको प्रदर्श 9 में स्पष्ट प्रदर्शित कराया है और स्पष्ट है तथा आराजी नं. 942 के उत्तर पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर 100 फिट लगी सीमा जो हाल आराजी सं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टेयर बिलानाम गलत दर्ज हो गई है जिसको किस्म रास्ता में दर्ज किया जाने का पूर्ण आधार है जिससे प्रतिवादी भुमिधारी अधिकारी तहसीलदार भुपालसागर को भी कोई नुकसान नही होगा। प्रतिवादी स्वयं ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि साबिक आराजी नं. 480 वर्तमान आराजी नं. 2554/942 से काफी दूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

11.2.21
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

पर था तथा वर्तमान आ.न. 2554/942 बिलानाम नही होकर बिलानाम सेटलमेन्ट की गलती से दर्ज हो गया जिसको दुरुस्त कराने का वादीगण अधिकारी है तथा वादीगण ने अपने जिम्मे उपरोक्त विवाद्यक को पूर्ण रुप से साबित किया व कराया है इसलिए उक्त विवाद्यक को वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तथा प्रतिवादी के जवाब एवं दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन की घोष्णा एवं इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हाल आराजी नं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टेयर की किस्म परिवर्तन कर बिलानाम सरकार के स्थान पर बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे और इसी अनुसार आराजी नं. 942 के उत्तरी– पश्चिमी से पश्चिमी –पुर्व की ओर के भाग को पूर्व में अवाप्त सडक के साथ रास्ता कायम किया जाने की डिक्री पारित की जाती है तहसीलदार भुपालसागर को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान आराजी नं. 2554/942 रकबा 0.16 हैक्टेयर के किस्म बिलानाम काश्त को हटाकर बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने की तरमीम की जावे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.02.2021
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जिला चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –5

डिक्री बमुकद्दमे इस्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी :– **सुखाराम पिण्डेल** (R.A.S.)

उनवान

शंकर वगैराह .... बनाम .... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती
मुकदमा नम्बर :– 10/2020
निर्णय दिनांक :– 11·02·2021

वादी की ओर से श्री नरेन्द्र दाधीच की व प्रतिवादी की ओर से भूमिधारी तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11·02·2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

आराजी न० 2554/942 रकबा 0·16 हैक्ट० की किस्म परिवर्तन कर बिलानाम सरकार के स्थान पर बिलानाम रास्ता किया जावे तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान आ० न० 2554/942 रकबा 0-16 हैक्ट० के किस्म बिलानाम काश्त को हटाकर बिलानाम ~~[illegible]~~ रास्ता दर्ज किये जाने की तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11·02·2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी)

11·02·2021
(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 10:54:12 IST
Reason: Self Attested

खर्चे के आदेश

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर का फीस	–
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–

Scanned with CamScanner

साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
आदेशिका की तामिल	–		–
जोड	–	जोड	–

11.02.2021

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.15 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner